(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी -478—एक—2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31.05.97 के द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील 32/2003—04.

1— त्रिलोकीनाथ मिश्रा पुत्र स्व0 मुन्नीलाल
2— लक्ष्मीकांत मिश्रा पुत्र स्व0 श्री मुन्नीलाल जी मिश्रा
निवासीगण— ग्राम देवरा ,तहसील हनुमना
जिला— रीवा (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ,द्वारा कलेक्टर ..... अनावेदक

(श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक)
(श्री राजीव गौतम पैनल अभिभाषक)

आदेश

(आज दिनांक 15 —3— 2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 32/ अपील/2003—2004 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2005 के विरुद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सर्किल खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा ग्राम मदराबल की शासकीय भूमि खसरा कमांक 413 के अंश भाग रकवा 5.405 हेक्टयर का व्यवस्थापन आवेदकगण त्रिलोकीनाथ एवं लक्ष्मीकांत के नाम म0प्र0 कृषि

प्रयोजन के लिए दखल रहित भूमि का भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत किया गया। उक्त व्यवस्थापन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें व्यवस्थापन को अवैधानिक बताया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्व0निगरानी में लेकर आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील के पश्चात बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। नायव तहसीलदार व्यवस्थापक प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि व्यवस्थापन की गई भूमि अभिलेख में काबिल काश्त अंकित नहीं थी। अतः बिना नोईयत परिवर्तन के किया गया व्यवस्थापन नियम विरुद्व है । अतः नायब तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया इसी आदेश के विरुद्व आवेदकगण द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 10.1.05 को आवेदकगण की अपील निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि प्रश्नाधीन आराजी में मिट्टी डालकर भूमि पर उसके द्वारा पेड – पौधे भी लगायें गये है। साथ ही जीवन उपचार हेतु कृषि कार्य भी किया जाता है। नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदित भूमि का व्यवस्थापन स्वीकृत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया है । प्रश्नाधीन आराजी में आवेदकगण का वर्ष 1966–67 से कब्जा दखल चला आ रहा है। व्यवस्थापन आदेश के विरुद्व किसी की शिकायत नहीं थी इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अतः आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण भूमि हीन कृषक है उनके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त और भूमि भी नहीं है। उक्त भूमि ही ही उनकी जीविको पार्जन का मात्र एक साधन हे ऐसी स्थिति में भी वह बंटन के पात्र व्यक्ति है जिस पर विचार किये बिना मनमाने रूप से निष्कर्ष निकालते हुये कलेक्टर एवं आयुक्त महोदय ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि प्रावधानों के अंतर्गत सही एवं स्वच्छ आदेश है उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न खसरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि काबिल काश्त अंकित नहीं। संहिता की धारा 237(2) में प्रावधानित किया गया है कि उप धारा 1 में वर्णित किसी प्रयोजन के लिए विशेष रुप से पृथक रखी गई भूमियां कलेक्टर की बिना स्वीकृत एवं बिना नोईयता परिवर्तन के व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता, इश्तहार का भी प्रकाशन विधिवत नहीं पाया जाता। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी विधिवत नहीं लिया गया। नायव तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को भूमि हीन होने संबंधी कोई जॉच नहीं की गई और न ही उनके कब्जा होने की विधिवत जांच की गई। अपीलार्थीगण द्वारा नायव तहसीलदार के समय पूर्व से कब्जा होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत करना नहीं पाया जाता । यहॉ पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन भूमि ग्राम मदराबल में स्थित है , जबकि अपीलार्थीगण ग्राम देवरा के निवासी है इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का नजरअंदाज करते हुए पारित किए गये अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भूल नहीं की इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप योग्य न होने से यथावत बहाल रखा जाता है।

6– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार एवं तथ्य हीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर